

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय इन्दौर म.प्र.

क्रमांक /

/ नग्रानि / 12,

इन्दौर दिनांक

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत भंवरासला
तहसील व जिला-इन्दौर म0प्र0

विषय:- ग्राम भंवरासला जिला इन्दौर आवेदक मार्स डेवलपर्स तर्फे पार्टनर निकेत मंगल के सर्वे क्रमांक 17/1/2/1 एवं 17/1/2/2 कुल रकबा 1.17 हेक्टर पर आवासीय योजना हेतु मल्टी फ्लेटेड यूनिट्स (पी+6) स्वीकृति बाबद ।

संदर्भ:- आवेदक मार्स डेवलपर्स तर्फे पार्टनर निकेत मंगल द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र इस कार्यालय में आवक क्रमांक 236 दिनांक 22.2.2012

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक मार्स डेवलपर्स तर्फे पार्टनर निकेत मंगल 82 नई अनाज मण्डी इन्दौर द्वारा ग्राम भंवरासला जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 17/1/2/1 एवं 17/1/2/2 कुल रकबा 1.17 हेक्टर पर आवासीय योजना हेतु मल्टी फ्लेटेड यूनिट्स (पी+6) स्वीकृति बाबद प्रस्तुत किया है । प्रकरण में तकनीकी परीक्षण उपरान्त संलग्न मानचित्र में दर्शाए गए संशोधन अनुसार आवासीय भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने की अनुशंसा निम्न शर्तों के आधार पर की जाती है :-

01. इस कार्यालय द्वारा जारी अनुज्ञा क्रमांक 7101/एस.पी./331/11 नग्रानि/11, दिनांक 17.10.2011 अनुसार जारी शर्तों का पालन सुनिश्चित करवाना होगा ।
02. भवन निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी अनुसार करना होगा ।
03. निर्माण कार्य दौरान जनसुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक अनुसार उपाय सुनिश्चित करवाना होगा ।
04. पार्किंग क्षेत्र में पार्किंग के अलावा किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित होगा ।
05. भू-स्वामी को म0प्र0 भूमि विकास नियम 31 एवं 97 का अनिवार्य रूप से पालन करवाना होगा ।
06. आवेदक से म0प्र0 भूमि विकास नियम-1984 नियमानुसार भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क जमा करना आवश्यक होगा । इसके अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क जमा करना आवश्यक हो तो आवश्यक रूप से जमा कराया जाये ।
07. स्वीकृत मानचित्र अनुसार भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जाये तथा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये ।
08. म0प्र0 भूमि विकास नियम-1984 एवं इन्दौर विकास योजना-2021 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

For Mars Developers,

Rishi
Partner

// 2 //

09. मानचित्र में प्रस्तावित पी+6 भवन हेतु फायर एन.ओ.सी की शर्तों में उल्लेखित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए ।
10. फायर अथारिटी से फायर अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
11. भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करना होगी ।

संलग्न :- (1) मानचित्र : 5-स्टेज

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर म0प्र0

पृ0 क्रमांक / 207 / नगानि / 12,

इन्दौर दिनांक 30/3/0

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, फायर अथारिटी नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मंडल इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
3. आवेदक मार्स डेवलपर्स तर्फे पार्टनर निकेत मंगल 82 नई अनाज मण्डी इन्दौर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर म0प्र0

For Mars Developers,
Partner

4

कार्यालय ग्राम पंचायत भंवरासला

जनपद पंचायत साँवेर, जिला-इन्दौर

दिनांक २.३०

सरपंच :

अनुपमा राजेन्द्र सिंह

दि. ०५-०४-०१२

मार्स डेलवपर्स

तर्फे पार्टनर निकेत मंगल, इंदौर

विषय :- भवन मानचित्र स्वीकृत करने बाबद्
महोदय,

सर्वे खसरा क्र. 17/1/2 एवं 17/1/2 कुल
रकबा 1.17 हेक्टर ग्राम भौरांसला आपके द्वारा आवेदन
दिया जाने के पश्चात नगर तथा ग्राम निवेश स्वीकृति क्र.
704 द्वारा आपको इस कार्यालय के द्वारा भवन निर्माण की
अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- स्वीकृत नक्शा

क्र. 835/13

दिनांक - 05-04-012

अनुपमा

सरपंच

जनपद पंचायत, साँवेर

For Mars Developers,

Rishi
Partner